न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 23/2011 नामान्तरकरण अपील

1. श्रीमति संतोष पत्नि सुरेश कुमार पुत्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी कल्याण गंज बस्सी जिला जयपुर।
2. शीला पत्नि ओमप्रकाश पुत्री श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी पितलियों की चौकी एलएमबी होटल के पीछे जौहरी बाजार जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बजरंग लाल पुत्र रामप्रसाद एमएलए क्वार्टर के पास गांधी नगर जयपुर।
2. विनोद कुमार पुत्र रामप्रसाद सवाईमाधोपुर रोड अनाज मण्डी के पीछे लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. सीताराम पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी खालदा की ढाणी वार्ड नं. 14 लालसोट जिला दौसा।
4. बाबूलाल पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी खालदा की ढाणी वार्ड नं. 14 लालसोट जिला दौसा।
5. मूली देवी पत्नि रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी खालदा की ढाणी वार्ड नं. 14 लालसोट जिला दौसा (फौत)।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा।
7. तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 36 दिनांक 03.08.93 द्वारा तहसीलदार तहसील लालसोट लालसोट जिला दौसा)

उपस्थिति :– 1 : श्री वरूण नागर अधिवक्ता अपीलान्टस् उपस्थित ।
2 : रेस्पोडेन्ट सं. 1 बावजूद तामील अनुपस्थित ।
3: श्री विजेन्द्र सिंह चेची अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगा. 4 उप.।

–: निर्णय :– दिनांकः 30.08.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट नं. 1 व 2 रामप्रसाद की पुत्रियां है एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगा. 4 कि रामप्रसाद के पुत्र है एवं रेस्पों. नं. 5 मूली देवी रामप्रसाद की पत्नि है। प्रकरण में रामप्रसाद का देहान्त दिनांक 10.11.92 को हो चुका है। श्री रामप्रसाद की मृत्यू के उपरान्त नामान्तरकरण सं. 36 दिनांक 03.08.93 खोला गया। जिसे रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 5 ने केवल मात्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 5 को ही उत्तराधिकारी बतलाते हुए चुपचाप तहसीलदार लालसोट व अन्य राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत कर खुलवाया गया है। जबकि उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के नाम भी खुलना चाहिए था। प्रकरण में दिनांक दिनांक 06.05.13 को रामप्रसाद की पत्नि मूली देवी का भी देहान्त हो चुका है। उक्त विवादित भूमि ख. नं. 2547/12 रकबा 11 बिस्वा, ख. नं. 2547/13 रकबा 14 बिस्वा, खं नं. 2547/14 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख नं.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

2547/15 रकबा 1 बीघा, ख नं. 2547/16 रकबा 7 बिस्वा, ख नं. 2547/17 रकबा 5 बिस्वा, ख नं. 2547/18 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, ख. नं. 2547/19 रकबा 4 बिस्वा, ख. नं. 2547/20 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख. नं. 2547/21 रकबा 13 बिस्वा, ख. नं. 2547/28 रकबा 10 बिस्वा, ख. नं. 2547/4 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख. नं. 2547/6 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख. नं. 2547/7 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख. नं. 2547/8 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 15 कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम चक राजौली तहसील लालसोट में स्थित है। दिनांक 28.08.2011 को जब अपीलान्ट्स लालसोट आये एवं उन्होने अपने पिता की कृषि भूमि के बारे में रेस्पोडेन्ट श्रीमति मूली देवी व बाबूलाल से जानकारी मांगी तो उन्होने भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगा. 5 के नाम होने की जानकारी दी। अपीलान्ट्स को उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। तहसीलदार लालसोट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 5 के पक्ष में खोले गये विरासत के उक्त नामान्तरकरण सं. 36 दिनांक 03.08.93 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। रेस्पोडेन्ट सं. 5 श्रीमति मूली देवी पत्नि श्री रामप्रसाद फौत। अधिवक्ता अपीलान्ट्स व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 लगा. 4 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 लगा. 4 स्व0 रामप्रसाद के ही वारिसान है एवं मूली देवी स्व. रामप्रसाद की पत्नि है। नामान्तरकरण सं. 36 दिनांक 3.8.93 की कार्यवाही में तहसीलदार लालसोट ने अपीलान्ट्स को सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया। अपीलान्ट्स जो कि रामप्रसाद की पुत्रियां है, उन्हे उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही में नोटिस दिया जाना चाहिए था। रामप्रसाद की मृत्यू के बाद उनकी चल व अचल सम्पत्ति में उनके प्रत्येक उत्तराधिकारी का हिस्सा 1/7, 1/7 बनता है एवं इसी आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण खुलना चाहिए था लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 5 ने तहसीलदार लालसोट से व अन्य राजस्व अधिकारियों से सांज करके गुपचुप में अपीलान्ट्स की अनुपस्थिति में उक्त नामान्तरकरण खुलवाया है। जो कि कानूनन निरस्तनीय है। वास्तविक उत्तराधिकारियों को नामान्तरकरण की कार्यवाही में सुना नहीं गया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर तहसीलदार लालसोट के नामा. सं. 36 दिनांक 3.8.93 को निरस्त फरमाकर स्व. रामप्रसाद की विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 5 के हक में खोले जाने का आदेश प्रदान करे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 लगा. 4 द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 5 एक ही परिवार के सदस्य है जो कि मृतक स्व. श्री रामप्रसाद के वारिसान है। रामप्रसाद की मृत्यू के उपरान्त नामा. सं. 36 दिनांक 3.8.93 रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 5 के नाम खोला गया है, जो कि अपीलान्ट्स के नाम भी खुलना चाहिए था। तहसीलदार लालसोट ने मृतक रामप्रसाद के सही वारिसान की जांच किये बिना ही उक्त नामा. तस्दीक किया है। जो न्यायोचित नहीं है एवं उक्त नामा. निरस्त किये जाने योग्य है। स्व. रामप्रसाद के चार पुत्र (रेस्पोडेन्ट) व दो लडकियां (अपीलान्ट) है। रामप्रसाद की मृत्यू के उपरान्त उसकी चल व अचल सम्पत्ति में

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्व. रामप्रसाद के प्रत्येक वारिसान का बराबर का हिस्सा है। अतः अपीलान्ट्स की अपील मंजूर फरमाई जाकर स्व. रामप्रसाद के प्रत्येक वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगा. 4 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार लालसोट ने वारिसान की जांच किये बिना उक्त नामा. तस्दीक कर कानूनी भूल की है। चूंकि अपीलान्ट्स स्व. श्री रामप्रसाद के विधिक वारिसान है एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 4 भी स्व. रामप्रसाद के विधिक वारिसान है। जिन्होने अपीलान्ट्स के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही मे कोई आपत्ति नहीं की है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामा. सं. 36 दिनांक 3.8.93 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official